संख्या- 3/2015/19 बीपी/35-1-2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक: 27 जनवरी, 2015

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत उद्यान विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन उद्यान विभाग की निम्नांकित परियोजनाओं जिनकी कुल लागत रू. 26.00 करोड़ (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 14.23 करोड़ तथा लाभार्थी अंश रू. 11.77 करोड़) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 1.05 करोड़ (एक करोड पॉच लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(करोड़ रू.)

	परियोजना का नाम	लागत			अवमुक्त धनराशि
		कुल	कुल में		
			ए.ए.सी.	लाभार्थी अंश	
1	देशी बेर में टॉप वर्किंगवाइल्ड/	5.00	2.50	2.50	0.00
2	हार्टिकल्चर इस्टेट की स्थापना	6.30	3.15	3.15	0.39
3	पोषक वाटिका की स्थापना	2.45	2.45	0.00	0.00
4	सब्जी पट्टी का विकास	12.25	6.13	6.12	0.66
	योग	26.00	14.23	11.77	1.05

1- स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार के पत्र संख्या –एफ नं.क्यू-11050/21-2013-एग्री. दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से अनुमोदित परियोजना/ कार्यों एवं उसके साथ लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइमलाइन्स सहित विस्तृत कार्य योजना बनाते हुए किया जायेगा।

2- इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्यों को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ अनुमोदित लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

3- लाभार्थी अंश के रूप में अपेक्षित धनराशि विभाग द्वारा समन्वय करते हुए जुटाई जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपरोक्त परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि एवं कार्ययोजना की फॉट तैयार कर तत्काल सम्बन्धित मण्डलायुक्त/विभागीय जिलाधिकारी/ मुख्यविकास अधिकारी/ विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी को उनके स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।

6- प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/पीएलए में नहीं रखी जायेगी। इस धनराशि का उपयोग कार्य योजना के अनुसार समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2015 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा।

7- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वास्तविक स्थलीय निरीक्षण कर स्थल का चयन स्टेट लेवल साइन्टिफिक सोर्स कमेटी से परामर्श कर लिया जायेगा तथा समिति की रिपोर्ट की एक प्रति एन.आर.ए.ए. तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत प्रत्येक कार्य स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए उसका विस्तृत आगणन तैयार कराते हुए सक्षम स्तर की स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।

9- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज़ नियमें तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहायोग प्रदान किया जायेगा।

10- कार्य स्थल पर इसे बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन'सारधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

11- द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाये।

12- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व उद्यान विभाग का होगा और विभाग द्वारा तदनुसार नेशनल रेनफेड एरिया अथारिटी एवं नीति आयोग, भारत सरकार तथा नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

14- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नीति आयोग/ एन.आर.ए.ए./ नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

15- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-17-उद्यान विभाग की परियोजनायें-20-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा। उक्त धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02- पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय -03-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-00-42-अन्य व्यय में उपलब्ध एकमुश्त प्राविधान से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा। आदेश संख्या-यू.ओ.01/35-1-2015, दिनांक 22 जनवरी, 2015 द्वारा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–आर.ई-168-ई-5-11/दस-2015, दिनांक 07 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये गये हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालयज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-3-1840/दस-2014-100(4)/2002-ब.मै. दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव

संख्या– 3/2015/19बीपी (1)/35-1-2015 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- गार्ड फाईल ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।